तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज
15/5/25	पत्रावली आज नापेशी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर पेशी में ली गयी। पेशकार राजेश का बयान भी सुना गया व पक्षकारगण सुने गये। चूंकि प्रकरण में वादी व समस्त प्रतिवादीगण के मध्य समझौता हो चुका है। अतः प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की जाती है। पत्रावली नियम से पूर्ण होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible] (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 60/25

राजेन्द्रसिंह पुत्र पूर्णसिंह जाति राजपुत निवासी कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. अल्का देवी पत्नि राधेश्याम जाति कुम्हार निवासी कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
2. मनोजकुमार लिम्बा पुत्र रामकिशन जाति कुम्हार निवासी कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
3. सुभाष कुमावत पुत्र रामकिशन जाति कुम्हार निवासी कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
4. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–

1. मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादी
2. प्रेमचन्द सैनी एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

–: निर्णय :–

दिनांकः– 15-5-2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 702/524 तादादी 4.0753 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। जिसे आगे वादगत भूमि कहा गया है। वादगत भूमि का मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन किया हुआ है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 अपने–अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का खान–पान, लेन–देन सब अलग–अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

प से अंकित होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी ठानी पड रही है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त ातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व कार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके लिए वादी को कानुनी अधिकार प्राप्त है। वादी ने दिनांक 20.04.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक–पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने वादी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को वर्जित कराये कि वोह वादी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत भूमि वादी के संयुक्त खातेदारी, कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग की होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ऐलानियां धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वादी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव

उपखण्ड अधिकारी
(बीदासर, चूरू)

त्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर स्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा राजीनामा पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। पक्षकारों द्वारा राजीनामा पेश करने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वकुलान की बहस सुनी गई। वकुलान ने दौराने बहस दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को राजीनामा अनुसार डिक्री करने का निवेदन किया।

वकुलान की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादी द्वारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। पक्षकारों द्वारा राजीनामा पेश करने के कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। पक्षकार राजीनामा अनुसार वादगत भूमि में अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाना चाहते है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः पक्षकारों का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम कातर छोटी के खसरा संख्या 702/524 तादादी 4.0752 हेक्टेयर में सें 0.0743 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अल्का देवी के नाम व 0.0639 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 मनोजकुमार के नाम व 0.0639 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 3 सुभाष के नाम व 0.3400 हेक्टेयर भूमि गैर मुमकिन रास्ता के नाम व शेष 3.5332 हेक्टेयर भूमि वादी राजेन्द्रसिंह के नाम से अलग–अलग खातेदारी में दर्ज कर लगान का विभाजन करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम कि जावे। इस हेतु अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 15/2/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ सत्यमेव जयते ★ बीदासर जिला-चूरू

अंतिम डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बीदासर व इजलास अमीलाल यादव, आर.ए.एस.
राजेन्द्रसिंह बनाम अल्का आदि
दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

क़दमा न.:– 60/25

ह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु........हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादी मेनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम डिक्री दी जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम कातर छोटी के खसरा संख्या 702/524 तादादी 4.0752 हेक्टेयर में सें 0.0743 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अल्का देवी के नाम व 0.0639 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 मनोजकुमार के नाम व 0.0639 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 3 सुभाष के नाम व 0.3400 हेक्टेयर भूमि गैर मुमकिन रास्ता के नाम व शेष 3.5332 हेक्टेयर भूमि वादी राजेन्द्रसिंह के नाम से अलग–अलग खातेदारी में दर्ज कर लगान का विभाजन करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम कि जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

चीज.................मुबलिग......................बाबत.....................खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह................ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक...को अदा करें।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15/5/25.........

मुहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा बीदासर (चूरू)

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)